

प्रेमक

अरविन्द सिंह हयांकी,
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

जाति
28.1.14

उत्तराखण्ड दिनांक 28 जनवरी, 2014

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 32 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता माधो/कुच्छे0 लो0नि0वि0 पीडी/अल्मोडा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32 कार्यों के प्राथमिक आगणनी, जिनकी कुल लागत ₹ 149.30 करोड़ + 05 पैसे तथा लागत ₹ 1264.32 लाख है, पर पीएलसी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1264.32 लाख (दो हजार चार सौ साठ लाख बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के जौलन सा0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 32 कार्य हेतु ₹ 3.20 लाख (तीन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित मार्ग के अधीन सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्य को समयबद्ध रूप से पूरे किया जायेगा तदुपरान्त शासनादेश सं0-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें रीटयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में कटौत हो रही है तो उसका समायेोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वायरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, मूडिलिटी सिफिटिंग आदि मदों के सम्बन्ध में पश्चादश्यक ग्राह्य अनुदान सं0-22-लेखापी0शंक-5054 सहकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्धन-04 जिला तथा अन्य सहकों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/मान/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 बृहत निर्माण कार्य में विभागीय भाव-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

11/1/14

शासनादेश संख्या: 549 / 11(2)/14-49(आ0आ0)/2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014 का संलग्नक

24	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड चिन्वालीसीढ़ के अन्तर्गत चिन्वालीसीढ़-जीराय मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	20.51 (15.85 + 14.66 जनसंख्या के आधार पर निर्माण कार्य से कटौती करने वाले कार्य)	0.10
25	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड दुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 सिलवधारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	119.65 (32.85 + 86.80 जनसंख्या के आधार पर निर्माण कार्य से कटौती करने वाले कार्य)	0.10
26	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत गीनाग मोटर मार्ग से पर्यासरी होते हुए ब्राह्मखान-जुणगा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एक 24 मी० स्पान स्टील गैरर रेल सहित कार्य।	5.00 + 24 mt	89.93 (10.93 + 59.00 जनसंख्या के आधार पर निर्माण कार्य से कटौती करने वाले कार्य)	0.10
27	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नीगांव के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में गंगटाली से पटागणी होते हुए बरसाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	63.14 (40.95 + 22.19 जनसंख्या के आधार पर निर्माण कार्य से कटौती करने वाले कार्य)	0.10
28	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड दुण्डा के अन्तर्गत मालना से लौलू मोटर मार्ग का सुधार एवं क्षमरीकरण का कार्य।	2.00	0.34	0.10
29	जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र-धनोली के विकासखण्ड-जीनपुर में धान-किट्ट कुण्ड डाण्डा की बैली खनेरी मोटर मार्ग का निर्माण।	9.00	70.65 (52.65 + 18.00 जनसंख्या के आधार पर निर्माण कार्य से कटौती करने वाले कार्य)	0.10
30	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान-थुवासिमल मोटर मार्ग के कि०मी० 5.00 से उत्तेश्वर महादेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	23.45 (17.55 + 5.90 जनसंख्या के आधार पर निर्माण कार्य से कटौती करने वाले कार्य)	0.10
31	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत तोली (मनिआगर)-मैचून मोटर मार्ग का ग्राम बतौली तक विस्तार का कार्य।	3.00	22.98 (17.55 + 5.43 जनसंख्या के आधार पर निर्माण कार्य से कटौती करने वाले कार्य)	0.10
32	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्वा-खसीली मोटर मार्ग से ग्राम मौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	15.32 (11.70 + 3.62 जनसंख्या के आधार पर निर्माण कार्य से कटौती करने वाले कार्य)	0.10
योग-		154.30 + 05	1264.32	3.20

(कुल २ तीन लाख बीस हजार मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अयमुक्त की जा रही धनराशि का ध्येय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जाएगा। यदि स्वीकृत कार्य की सापेक्ष मौजूद वित्तीय वर्ष में अनिश्चित धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका ध्येय समत मंद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से निगमानुसार किया जाएगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री सामूहिक सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है अथवा उसी प्रधानमंत्री सामूहिक सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समकक्ष कार्य हेतु पूर्व में कारवाई गई डिजाईन/मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है तो गितव्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला ध्येय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पुंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य ध्येय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे दाखल जाएगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-730/XXVII(2)/2013 दि०: 28 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

महर्दीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अवर सचिव

संख्या- 549 (1)/111(2)/14-49(पा०आ०)/2013 तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओमराय मोटर्स विल्डिंग, गाजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पीडी/मैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि, पीडी/अल्मोडा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से

(महिमा)

(महिमा)

अनु सचिव